<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।</u>

R.S. No.-138/2017

CNR No.- UPBB180001692017

दीनदयाल आदि बनाम सत्यनाम आदि

<u>02.02.2024</u>

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-23 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में विपक्षी संख्या 2 शत्रोहन का देहान्त दिनांक 27.06.2021 को हो गया है। मृतक अविवाहित रहा जिस कारण उसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र क-23 में वर्णित आधारों पर प्रतिस्थापन चाहते हुए वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-25 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में वादी सं० 2 देवीदयाल का देहान्त दिनांक 09.05.2021 को हो गया है। मृतक की पत्नी श्रीमती गुड़िया व तीन पुत्र आशीष कुमार, विशाल कुमार, जतिन कुमार व उनकी पुत्री महिमा मृतक के जायज वारिस एवं कायम मुकामान हैं। अतः प्रार्थना पत्र क-25 में वर्णित आधारों पर प्रतिस्थापन चाहते हुए वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-29 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 1 सत्यनाम का देहान्त दिनांक 08.05.2019 को हो गया है। मृतक की पत्नी की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो गई थी। मृतक के चार पुत्र व दो पुत्रियां हैं। मृतक की पुत्रियां विवाहित हैं व अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही है जिस कारण उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। मृतक के पुत्र अवधेश कुमार, रजनीश कुमार, ललित कुमार व अमरेश कुमार जायज वारिस एवं कायम मुकामान हैं। अतः प्रार्थना पत्र क-29 में वर्णित आधारों पर प्रतिस्थापन चाहते हुए वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र क-33 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 5 रामकिशोर का देहान्त दिनांक 27.02.2022 को हो गया है। मृतक की पत्नी सुरसती व चार पुत्र दुर्गा, देवबक्श, वीरेन्द्र व जयप्रकाश मृतक के जायज वारिस एवं कायम मुकामान हैं। अतः प्रार्थना पत्र क-33 में वर्णित आधारों पर प्रतिस्थापन चाहते हुए वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से हर्जे हेतु आपत्ति की गयी है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। विलम्ब से हुई हानि की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः वारिसान प्रार्थना पत्र क-23, क-25, क-29, क-33 मु० 800/- रूपये (प्रत्येक प्रार्थना पत्र मु० 200/- रूपये) तथा प्रार्थना पत्र क-27 जो कि

प्रार्थना पत्र क-25 के समान शब्दशः दाखिल है, प्रार्थना पत्र क-31 जो कि प्रार्थना पत्र क-29 के समान शब्दशः दाखिल है व प्रार्थना पत्र क-35 जो कि प्रार्थना पत्र क-33 के समान शब्दशः दाखिल है मु० 150/- रूपये (प्रत्येक प्रार्थना पत्र मु० 50/- रूपये) हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क-23, क-25, क-29, क-33 मु० 800/- रूपये (प्रत्येक प्रार्थना पत्र मु० 200/- रूपये) तथा प्रार्थना पत्र क-27 जो कि प्रार्थना पत्र क-25 के समान शब्दशः दाखिल है, प्रार्थना पत्र क-31 जो कि प्रार्थना पत्र क-29 के समान शब्दशः दाखिल है व प्रार्थना पत्र क-35 जो कि प्रार्थना पत्र क-33 के समान शब्दशः दाखिल है मु० 150/- रूपये (प्रत्येक प्रार्थना पत्र मु० 50/- रूपये) कुल मु० 950/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी उपरान्त संशोधन अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13.03.2024 को पेश हो।

(सोनम शर्मा)

सिविल जज (जू०डि०),रामसनेहीघाट,

न्यायालय सं०-14, बाराबंकी।